जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/vg/04 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | रविवार, 6 जून 2021

राजस्थान संवाद में हुए 500 करोड़ के क्रेयोंस घोटाले का मामला!!!

SPECIAL REPORT

भाग-4

आखिर खबर सच्ची है या फिर सूचना के अधिकार के तहत दी गयी जानकारी??

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

सरकारी विज्ञापन भ्रष्टाचार मामले में उपनिदेशक को राहत नहीं, ये है मामला

अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 05 Feb 2018 03:16 PM IST

अमर उजाला मे दिनांक 05/02/2018 को प्रकाशित खबर से साभार

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों के प्रसारण में हुए भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में तैनात उप निदेशक अरुण कुमार जोशी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने जोशी की आपराधिक याचिका को भी खारिज कर दिया है। न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा ने यह आदेश दिए।

याचिकाकर्ता अरुण कुमार जोशी की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास राजस्थान संवाद का कार्यभार उसके प्रबंधक प्रमोद पारीक के अवकाश पर रहने के कारण 4 अप्रैल 2013 से 18 अप्रैल 2013 तक था। इस दौरान निदेशक स्वायत्त शासन की ओर से उन्हें पत्र जारी कर मैसर्स क्रेयांस एडवरटाइजिंग लिमिटेड के पक्ष में आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा न तो कोई बिल जारी हुआ था और ना ही उस समय कोई भुगतान किया गया। मामले में दर्ज एफआईआर में भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं है।

ऐसे में याचिकाकर्ता के स्तर तक एफआईआर को रद्द किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह मामला संस्थानिक भ्रष्टाचार का है। जिसमें कई लोग शामिल है। याचिकाकर्ता के पास जब राजस्थान संवाद के प्रबंधक का चार्ज था, उस समय राजस्थान संवाद ऑपरेशन मैनुअल के अनुसार कोई भी कार्य आदेश जारी करने से पूर्व उनको यह सुनिश्चित करना था कि मैसर्स क्रेयांस एडवरटाइजिंग लिमिटेड जयपुर में प्रसारण के लिए सक्षम और अधिकृत है या नहीं।

पोर्टल के चीफ एडिटर की अनुमति पश्चात कोई भी समाचार पत्र-पत्रिका,न्यूज एजेंसी इस रिपोर्ट या इसके अंश को प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र है।

सूचना का अधिकार

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

क्रमांक/प्रस्था/सू.अ./40/21/ 29118 जयपुर, दिनांक: 02/06/2

श्री ज्ञानेश कुमार,
जवाब दो सरकार, एस–1,
सैकंड फ्लोर, झारखंड अपार्टमेंट,
संगत सिंह रोड़, जनरल संगत सिंह मार्ग,
खातीपुरा, जयपुर

विषय :– सूचना का अधिकार–2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :– आपका पत्र दिनांक 02.05.2020 (भा0 पो0 ऑ0 52एफ 420798)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में निम्नानुसार प्रतिउत्तर प्रेषित है।

क्र. स.	चाही गई सूचना	जवाब
1.	संयुक्त निदेशक श्री अरूण जोशी के विरूद्व आज दिनांक तक दर्ज हुए मुकदमों की जानकारी मय संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि के उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	संयुक्त निदेशक श्री अरूण जोशी के विरूद्व आज दिनांक तक दर्ज मुकदमों की जानकारी शून्य है।
2.	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा संयुक्त निदेशक श्री अरूण जोशी के विरूद्व चाही गयी अभियोजन स्वीकृति की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा संयुक्त निदेशक श्री अरूण जोशी के विरूद्व चाही गयी अभियोजन स्वीकृति की जानकारी शून्य है।
3.	यदि आपके कार्यालय द्वारा श्री अरूण जोशी के विरूद्व चाही गयी अभियोजन स्वीकृति उपलब्ध करवा दी गयी हो तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें। यदि आपके कार्यालय द्वारा श्री अरूण जोशी के विरूद्व चाही गयी अभियोजन स्वीकृति उपलब्ध नहीं करवाई गई हो तो संबंधित कारणों की जानकारी देते हुए संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	चाही गयी सूचना शून्य समझी जावें।
4.	वर्तमान में संयुक्त निदेशक श्री अरूण जोशी को मिले हुये दायित्वों की जानकारी देने का श्रम करें।	वर्तमान में संयुक्त निदेशक श्री अरूण जोशी संयुक्त निदेशक समाचार के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक, क्षेत्र प्रचार के दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे है।
5.	संयुक्त निदेशक श्री अरूण जोशी के कार्यकाल में विगत दो वर्षो में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं/NGO को फिकस्ड रेट पर जारी किये गये विज्ञापनों का ब्यौरा मय संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि के उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	श्री अरूण जोशी को विज्ञापन शाखा का किसी भी प्रकार का कार्यभार नहीं दिया गया है।
6.	01.01.2020 से आज दिनांक विभाग द्वारा क्षेत्र प्रचार पर खर्च की गयी राशि का ब्यौरा मय संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि के उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	01.01.2020 से आज दिनांक तक 913458.547/– राशि का क्षेत्र प्रचार पर खर्च किया गया है।
7.	संयुक्त निदेशक श्री अरूण जोशी द्वारा राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली एनुअल प्रोपर्टी रिटर्न (APR) की विगत 5 साल की एपीआर की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	वांछित सूचना कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध कारवाई गयी सूचना,जिसमे विभाग के संयुक्त निदेशक जवाब दे रहे है कि उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं है?

राज्य लोक सूचना अधिकारी
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय
राजस्थान,जयपुर

RTI Cell
Dept. Name:- DIPR, Secretariat Campus, C-Scheme, Jaipur
Website :- www.dipr.rajasthan.gov.in
Ph. 0141-2227659, 2227237
Mail Id:- estt.dipr@rajasthan.gov.in

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या यह सही है कि सूचना एवं जन संपर्क विभाग मे कार्यरत संयुक्त निदेशक श्री अरुण जोशी के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है?
2. यदि अरुण जोशी के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है तो राजस्थान उच्च न्यायालय मे क्रिमिनल रिट पिटीशन 410/2017 प्रस्तुत करने वाले अरुण जोशी कौन है?और क्यूँ वह क्रेयोंस मामले मे दर्ज एफ़आईआर को रद्द करने की गुजारिश पर रहा है?
3. क्रेयोंस मामले मे फर्जी बिलों के भुगतान पर हस्ताक्षर किसके है?
4. श्री अरुण जोशी राजस्थान संवाद मे कब से कब तक कार्यरत रहे?
5. उनके कार्यकाल मे कितनी फर्मों को कितना कितना भुगतान किया गया?
6. क्या अरुण जोशी अपने राजस्थान संवाद के कार्यकाल की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध करवाने को तैयार है?
7. क्या यह सही नहीं है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा राज्य सरकार से संयुक्त निदेशक श्री अरुण जोशी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति मांगी गयी है?
8. क्या यह सही नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक तक उक्त अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है?
9. क्या यह सही है कि दिनांक 01/01/2020 से आज दिनांक तक विभाग द्वारा क्षेत्र प्रसार पर महज 9 लाख रुपए खर्च किए गए है?
10. क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग को बताई गयी चल-अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे के अनुसार वर्ष 2020 तक श्री अरुण जोशी के पास मानसरोवर स्थित संपत्ति के अलावा और कोई संपत्ति नहीं है?
11. आखिर क्यूँ श्री अरुण जोशी सूचना एवं जन संपर्क विभाग मे अपनी आज दिन तक की नियुक्तियों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रहे है?